न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारी:— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 29/2022 प्रार्थना पत्र

देवीलाल बलाई पिता कन्हैयालाल बलाई, उम्र 43 साल, निवासी गोमाना, तहसील छोटीसादड़ी।

— प्रार्थी

//बनाम//

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री योगेश सोलंकी, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

निर्णय — दिनांक 23.05.2022

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम अहमदनगर में खाता संख्या 12 की आराजी नं. 108 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। इस आराजी के मूल साबिक आराजी नं. 114/104/13 रकबा 5 बीघा है जो पूर्व में मौके पर उल्टे एल की शेप में होकर इसी अनुसार प्रार्थी काबिज चला आ रहा है। गत सेटलमेण्ट में उक्त आराजी का राजस्व नक्शे में गलत अंकन हो गया है तथा उसे आयताकार शेप में अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी आरम्भ से ही एल शेप में मौके पर काबिज है। प्रार्थी की आराजी के पूर्व दिशा में रास्ता, पश्चिम में चरनोट, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में भी चरनोट भूमि है और इन्ही चारों पडोसों के बीच की भूमि पर प्रार्थी आरम्भ से ही काबिज काश्त है। नवीन सेटलमेण्ट में गलत इन्द्राज हो जाने से प्रार्थी पूर्व रेकार्ड अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पूर्व रेकार्ड अनुसार संशोधन करवाने का कष्ट करावें

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये और राजस्व रेकार्ड में संशोधन की अनुशंषा की।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संवत 2077—80 ग्राम अहमदनगर की खाता संख्या 12, नक्शा ट्रेस ग्राम अहमदनगर, मिलान क्षेत्रफल ग्राम अहमदनगर, नामान्तरकरण संख्या 140 ग्राम अहमदनगर, नकल जमाबन्दी संवत 2058—61 ग्राम अहमदनगर की खाता संख्या 67, साबिक नक्शा ग्राम अहमदनगर की प्रतियां प्रस्तुत की है। बहस में प्रार्थीगण ने प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

पत्र के कथनों को ही दोहराया है तथा तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने का निवेदन किया है। प्रस्तावित संशोधन से किसी भी पक्ष के रकबे में कोई कमी बेशी नहीं हो रही है तथा अन्य कोई भी व्यक्ति अथवा खातेदार प्रभावित नहीं हो रहा है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को स्वीकार करते हुए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को निम्नलिखित सारिणी एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार ग्राम अहमदनगर की आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं–

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	108	1.26	देवीलाल पिता कन्हैयालाल बलाई, निवासी गोमाना, तहसील छोटीसादडी	108	1.26	चारागाह
2	102	16.95	चारागाह	102 102	15.69 1.26	चारागाह देवीलाल पिता कन्हैयालाल बलाई, निवासी गोमाना, तहसील छोटीसादडी

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 23.05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा